

प्रेस नोट दिनांक 17.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी आलाजुर्म के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड़ आरा मशीन से आगे आम की बाग से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 02.05.2026 को वादी निवासी ऊँचागाँव ऐमा अस्भौं थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि आम बिनने के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा उनके पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। घटना के बाद विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। जिसके संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 115(1)/351(3)/352 बी0एन0एस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 दर्वेश कुमार, का0 राजेश पाल, रि0का0 विनय कुमार व रि0म0का0 खुशी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 115(1)/351(3)/352/109(1) बी0एन0एस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त 1.नोखेलाल पुत्र अयोध्या प्रसाद उर्फ झुरई निवासी ग्राम ऐमाअस्भौं ऊँचागाँव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड़ आरा मशीन से आगे आम की बाग से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी आलाजुर्म के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 02.05.2026 को अपने चाचा को जान से मारने की नियत से बाँस के डण्डे से मारा पीटा था जिससे मेरे चाचा गम्भीर रूप से घायल हो गये थे तथा घटना में प्रयुक्त बाँस के डण्डा को बिस्तर पर बगल में छुपाकर रखा हूँ। घटना मे प्रयुक्त आला जुर्म 01 बाँस का डण्डा उठाकर देते हुये बताया कि मैने इसी से मारा पीटा था, जिसे अभियुक्त की निशादेही पर कब्जा पुलिस में लिया गया।

बरामदगी-

01 अदद लाठी आलाजुर्म ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नोखेलाल पुत्र अयोध्या प्रसाद उर्फ झुरई निवासी ग्राम ऐमाअस्भौं ऊँचागाँव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 दर्वेश कुमार, का0 राजेश पाल, रि0का0 विनय कुमार व रि0म0का0 खुशी यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 देवी दयाल वर्मा व उ0नि0 जय सुशील मिश्रा मय हमराह रि0का0 शिव कुमार, रि0का0 शुभम पटेल, का0 शीशपाल सिंह, रि०आ० राकेश राय, रि०म०आ० सरोजा यादव, रि०म०आ० रुबी यादव चालक का0 अजीत कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत NBW सम्बन्धित मु0अ0सं0 146/94 धारा 323/324/427/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह नि0 कोडराजीत थाना बाघराय प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह नि0 कोडराजीत थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवी दयाल वर्मा व उ0नि0 जय सुशील मिश्रा मय हमराह रि0का0 शिव कुमार, रि0का0 शुभम पटेल, का0 शीशपाल सिंह, रि०आ० राकेश राय, रि०म०आ० सरोजा यादव, रि०म०आ० रुबी यादव चालक का0 अजीत कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0

आ0 सोनू व रि0 आ0 विकास यादव द्वितीय द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत NBW सम्बन्धित 18/21 धारा 323/504/506 भादवि व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3(2) V (क) एससी एसटी एक्ट से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 1.भाईलाल मौर्या पुत्र परमेश्वर प्रसाद मौर्या नि० ग्राम तिवारीपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 2.गजाधर प्रसाद मौर्या पुत्र मौकूलाल नि0 तिवारी पुर शकरदहा थाना बाघराय प्रतापगढ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. भाईलाल मौर्या पुत्र परमेश्वर प्रसाद मौर्या नि० ग्राम तिवारीपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
02. गजाधर प्रसाद मौर्या पुत्र मौकूलाल नि0 तिवारी पुर शकरदहा थाना बाघराय प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0 आ0 सोनू, रि0 आ0 विकास यादव द्वितीय थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना पट्टी के उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला, म0का0 पूजा कुमारी, म0का0 नीलाक्षी, का0 अभिषेक, का0 राहुल, का0 शिवराज द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट प्रतापगढ़, मु0नं0 704/2023 संबंधित अ0सं0 214/22 धारा 3(1)R, 3(1)S, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट व धारा 147,148,149,323,504,506,427 भादवि थाना पट्टी से संबंधित 03 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता 1.दुर्गेश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ 2.विनय यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ 3.खुशबू यादव पत्नी दुर्गेश यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. दुर्गेश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 39 वर्ष ।
02. विनय यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र 30 वर्ष

03. खुशबू यादव पत्नी दुर्गेश यादव निवासी धनगढ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र 31 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला, म0का0 पूजा कुमारी, म0का0 नीलाक्षी, का0 अभिषेक, का0 राहुल, का0 शिवराज थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ ।

थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना संग्रामगढ पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 117 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त राकेश नाई को किया गया गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गोदाही चौराहे ग्राम अशोगी के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ के उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह, का0 कुलदीप यादव व का0 मन्नु सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामगढ क्षेत्रान्तर्गत गोदाही चौराहे ग्राम अशोगी के पास से 1 अभियुक्त राकेश नाई पुत्र शिवमोहन नाई उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सराय निर्भय थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष को कुल 01 किलो 117 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त राकेश नाई के कब्जे से कुल 01 किलो 117 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना संग्रामगढ में मु0अ0स0 81/2026 धारा 8/20 NDPS ACT एक्ट थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.राकेश नाई पुत्र शिवमोहन नाई उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सराय निर्भय थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी- कुल 01 किलो 117 ग्राम नाजायज गांजा बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह, का0 कुलदीप यादव व का0 मन्नू सिंह थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अभियोग में नामजद अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजभवन गौतम उर्फ तुलसी को थाना क्षेत्रान्तर्गत ढकवा पट्टी फ्लाईओवर ग्राम देवरखा से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम घरहिया थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री, जिसकी शादी वर्ष 2012 में राजभवन गौतम उर्फ तुलसी पुत्र फागू गौतम निवासी ग्राम देवरखा थाना आसपुर देवसरा के साथ हुई थी, को उसका पति आए दिन प्रताड़ित करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। आरोप है कि उक्त प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दिनांक 14.05.2026 को सुनीता गौतम द्वारा अपने घर की छत में गाटर से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 115/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, का0 अजीत चौहान, रि0 आ0 सोनू कुमार व रि0आ0 रजत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 108 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजभवन गौतम उर्फ तुलसी पुत्र फागूलाल गौतम निवासी ग्राम देवरखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ढकवा पट्टी फ्लाईओवर ग्राम देवरखा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजभवन गौतम उर्फ तुलसी पुत्र फागूलाल गौतम निवासी ग्राम देवरखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, का0 अजीत चौहान, रि0 आ0 सोनू कुमार व रि0आ0 रजत सिंह

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली सफलता: शादी समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला 25,000/- का इनामियां अभियुक्त शनि सिंह गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फायरिंग/ हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त शनि सिंह को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 20.04.2026 को ग्राम रामपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण द्वारा अवैध असलहों से जाने से मारने की नियत से एक राय होकर स्टेज व बारातियों के बीच फायरिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 191(2)191(3)/190/109 (1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 04 नामजद व 4-5 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह उ0नि0 श्री अनुपम त्रिपाठी, हे0का0 नासिर कमाल, का0 योगेश, का0 हिमांशु पौनिया व चालक हे0 का0 पवन मौर्य द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 191 (2)/191 (3)/190/109 (1) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर संबंधित वांछित इनामियां 01 अभियुक्त शनि सिंह पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी गोडे थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस के साथ रखवा बाजार से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में पूछताछ की गई तो बताया गया जिस पिस्टल से मेरे द्वारा फायर किया गया था घटना के बाद उस पिस्टल और कारतूस को मैंने बेनीपुर नहर के

बगल बाग में पेड़ के पीछे झाड़ में छुपा कर रखा हूँ और पुलिस से बच कर भाग रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद आलाकल्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किये गये, जिसके संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार ईनामियां अभियुक्त का विवरण-

01. शनि सिंह पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी गोडे थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

गिरफ्तार ईनामियां अभियुक्त शनि सिंह पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी गोडे थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0704/2020 धारा 147/148/149/323/352/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 1150/2020 धारा 354(क), 507, भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 826/2022 धारा 147/148/149/286/323/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 860/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

05. मु0अ0सं0 264/2023 धारा 147/149/286/452/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

06. मु0अ0सं0 02/2026 धारा 115(2)/351(2)/352/64 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

07. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

08. मु0अ0सं0 237/26 धारा 191(2)/191 (3)/190/109(1) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद आलाकल्ल पिस्टल, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह उ0नि0 श्री अनुपम त्रिपाठी, हे0का0 नासिर कमाल, का0 योगेश, का0 हिमांशु पौनिया व चालक हे0 का0 पवन मौर्य थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 400 नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त सुरेश पटेल को किया गया गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत बरई रोड आम की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, मय हमराह उ0नि0 श्री चन्दबली सिंह, उ0नि0 दुर्गेश सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 मंदीप सिंह, रि0का0 सुनील तिवारी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बरई रोड आम की बाग के पास से 01 अभियुक्त सुरेश पटेल पुत्र मालिकराम पटेल निवासी रद्दू का पुरवा, बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष को कुल 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुरेश पटेल के कब्जे से कुल 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 154/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुरेश पटेल पुत्र मालिकराम पटेल निवासी रद्दू का पुरवा, बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 433/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 415/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, मय हमराह उ0नि0 श्री चन्दबली सिंह, उ0नि0 दुर्गेश सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 मंदीप सिंह, रि0का0 सुनील तिवारी थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को

नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह हे0 का0 संजय भारती व का0 धनन्जय कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय प्रतापगढ़ महोदय द्वारा जारी वाद सं० मु0अ0सं0 753/2015 धारा 147, 323 भादंवि थाना कोतवाली देहात से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 1.मो0 शमशाद पुत्र गामा निवासी ग्राम घोसियाना मोहल्ला सिटी थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 शमशाद पुत्र गामा निवासी ग्राम घोसियाना मोहल्ला सिटी थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह हे0 का0 संजय भारती व का0 धनन्जय कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त अजय गौतम गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय रहबई के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व

क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 30नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 दीपक कुमार दुबे व हे0का0 शिशुपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 69/352/351(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अजय गौतम पुत्र श्रीराम गौतम निवासी ग्राम रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोसनापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय गौतम पुत्र श्रीराम गौतम निवासी ग्राम रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम-

30नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 दीपक कुमार दुबे व हे0का0 शिशुपाल सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के 30नि0 राजेश कुमार शुक्ला बहमराह 30नि0 संयय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व रि0का0 संतलाल व रि0का0 मनीष यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लालगंज वाद संख्या 1008/12 अपराध सं0 192/11 धारा 498ए/323/506/314भादवि थाना उदयपुर से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 1.दान बहदुर सिंह पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पुरे छोटा कछवाहन का पुरवा मौजा नसीरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना उदयपुर के 30नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का जीयन कुमार व का0 रवि कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लालगंज वाद संख्या 206/21/21 राज्य बनाम सन्त प्रसाद आदि अपराध सं0 245/20 धारा 13 जी एकट थाना उदयपुर से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 1.किशन वर्मा उर्फ कृष्णा पुत्र हरभजन वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष 2. संत प्रसाद वर्मा पुत्र सतिदीन वर्मा उम्र करीब 43 वर्ष निवासीगण ग्राम लीला का पुरवा कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लीला का पुरवा के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. दान बहदुर सिंह पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह निवासी ग्राम पुरे छोटा कछवाहन का पुरवा मौजा नसीरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।
02. किशन वर्मा उर्फ कृष्णा पुत्र हरभजन वर्मा निवासी ग्राम लीला का पुरवा कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।
03. संन्त प्रसाद वर्मा पुत्र सतिदीन वर्मा निवासी ग्राम लीला का पुरवा कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष ।

पुलिस टीम-

01. उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला बहमराह उ0नि0 संयय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व रि0का0 संन्तलाल व रि0का0 मनीष यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
02. उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का जीयन कुमार व का0 रवि कुमार थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।